

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक _____

पटना, दिनांक _____

ग्रा0वि0-6-बजट/05-03/2017

प्रेषक,

राधाकिशोर झा,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष -2017-18 में मांग संख्या 42 के तहत एन0आर0एल0एम0/आजीविका योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में सामान्य मद में विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹0 6335.94 लाख (तिरसठ करोड़ पैंतीस लाख चौरानवे हजार) के विरुद्ध 60:40 के अनुपात में सामान्य मद में देय अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹0 4223.96 लाख (बीबानीस करोड़ तेईस लाख छियानवे हजार) के विरुद्ध एन0आर0एल0एम0 योजना के सामान्य मद के लिए संशोधित बजट उपबंधित राज्यांश की राशि में से उपलब्ध राशि से सहायक अनुदान मद में पूर्व में आवंटित राशि ₹0 3504.93 लाख (पैंतीस करोड़ चार लाख तिरानवे हजार) के अतिरिक्त शेष राशि ₹0 719.03 लाख (सात करोड़ उनीस लाख तीन हजार) का वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग :-

विभागीय स्वीकृतिपत्र संख्या-356533 दिनांक-26.02.2018

महाराज,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रारंभिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- J-12014/01/2017-RL(NRLM_34A) दिनांक- 29.09.2017 के द्वारा एन0आर0एल0एम0/आजीविका योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में सामान्य मद में विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹0 6335.94 लाख (तिरसठ करोड़ पैंतीस लाख चौरानवे हजार) के विरुद्ध 60:40 के अनुपात में सामान्य मद में देय अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹0 4223.96 लाख (बीबानीस करोड़ तेईस लाख छियानवे हजार) में से पूर्व में विभागीय पत्रांक 45 दिनांक 24.10.2017 द्वारा आवंटित राशि ₹0 3504.93 लाख (पैंतीस करोड़ चार लाख तिरानवे हजार) के अतिरिक्त शेष राशि ₹0 719.03 लाख (सात करोड़ उनीस लाख तीन हजार) का आवंटन किया जाना है ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में एन0आर0एल0एम0 योजना के अंतर्गत सामान्य मद में राज्यांश के रूप में बजट उपबंधित राशि ₹0 12273.33 लाख (एक अरब बाईस करोड़ तेहतर लाख तैंतीस हजार) के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृतिपत्र संख्या-313998 दिनांक-16.06.2017 द्वारा राशि ₹0 12273.33 लाख (एक अरब बाईस करोड़ तेहतर लाख तैंतीस हजार) की विमुक्ति एवं व्यव की स्वीकृति प्रदान की गई है । उक्त स्वीकृत राशि का पूर्ण रूप से आवंटन किया जा चुका है । पुनः विभागीय पत्रांक 350685 दिनांक 29.01.2018 द्वारा पुनर्विनिर्देश के माध्यम से राशि ₹0 10111.00 लाख (एक अरब एक करोड़ ग्यारह लाख) का अतिरिक्त

बजट उपबंध किया गया है। इस प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यांश के सामान्य मद के लिए संशोधित बजट उपबंधित राशि ₹0 22384.33 लाख (दो अरब तेईस करोड़ चौंरासी लाख तेतीस हजार) है, जिसके आलोक में पूर्व में स्वीकृत राशि ₹0 12273.33 लाख (एक अरब बाईस करोड़ तेहतर लाख तेतीस हजार) के अतिरिक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-356533 दिनांक-26.02.2018 द्वारा राशि ₹0 10111.00 लाख (एक अरब एक करोड़ ग्यारह लाख) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव भारत सरकार के उक्त पत्र के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-356533 दिनांक-26.02.2018 द्वारा स्वीकृत राशि में से उपलब्ध राशि से सामान्य मद में विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹0 6335.94 लाख (तिरसठ करोड़ पैतीस लाख चौंरानवे हजार) के विरुद्ध 60:40 के अनुपात में देय अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹0 4223.96 लाख (बीयालीस करोड़ तेईस लाख छिमानवे हजार) के विरुद्ध पूर्व में आवंटित राशि ₹0 3504.93 लाख (पैंतीस करोड़ चार लाख तिरनवे हजार) के अतिरिक्त शेष राशि ₹0 719.03 लाख (सात करोड़ उनीस लाख तीन हजार) का राज्यांश के रूप में सहायक अनुदान मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में आवंटित किया जाता है।

2. इस राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-356533 दिनांक-26.02.2018 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जाता है।
3. स्वीकृत राशि की निकासी मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम त्र्युशीर्ष- 101, स्वर्णजवती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष-0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनएआरओएसओएसओ) योजना विषय कोड- 42- 2501061010302 विस्तृत शीर्ष- 31- सहायक अनुदान, विषय शीर्ष 06 - गैर वेतन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकसनीय है।
4. ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक- 3873 दिनांक- 12.04.2008 द्वारा राष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र संचालित योजनाओं के संदर्भ में वित्त विभागीय परिपत्र सं- 2501वि(2) दिनांक- 17.04.1998 की कंडिका-2 में निहित प्रावधानों को प्रभावहीन किया गया है। वित्त विभाग के परिपत्र सं- 5294 दिनांक- 17.06.2015 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों के अंतर्गत राशि व्यय की जायेगी।
5. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यययन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होमें तथा राशि की निकासी अधिकार्य कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।
6. विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि की निकासी कर Bihar Rural Livelihoods Promotion Society, BRLPS-SRLM, Canara Bank, Account No.- 8531101010676, IFSC Code- CNRB0008531, Vidhyut Bhawan, Balley Road, Patna, Bihar में जमा कर देंगे।
7. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक, बी0आर0एन0पी0एस0, विद्युत भवन, पटना इस राशि की निकासी कर संबंधित परियोजना पर व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, नई दिल्ली, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को उपलब्ध करायेंगे।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले.हक.), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राधाकिशोर झा)

विशेष सचिव

जापांक _____ पटना, दिनांक _____
प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

ह0/-
विशेष सचिव

जापांक _____ पटना, दिनांक _____
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिंघाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, बिहार, पटना, को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
विशेष सचिव

जापांक 360313 पटना, दिनांक 15.03.18
प्रतिलिपि- श्री अनिता बघेल, निदेशक (आर0एन0) ग्रामीण विकास मंत्रालय, छठवीं मंजिल सम्राट होटल,
घाणक्यपुरी नई दिल्ली-110021/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-
राज्य मिसन निदेशक, बी0आर0एन0पी0एस0, विद्युत भवन, पटना / आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास
विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड
हेतु) प्रभारी सांख्यिकी सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना/ विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) एवं प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
इसकी एक प्रति प्रशाखा-6 की रक्षी पंजी में संचारित की जायेगी ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, के
आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।


विशेष सचिव
विभाग